Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 12, Issue 2 | November 2024 - April 2025 | pp. 14-20

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 : एक समग्र अध्ययन

डॉ. ओम प्रकाश शर्मा

सह आचार्य, व्यावसायिक प्रशासन

राजकीय शाकम्भर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सांभर लेक, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 केंद्र सरकार द्वारा लाया गया एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति तक खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित करना, कुपोषण को कम करना और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की गई है जिसमें उचित मूल्य पर खाद्यान्नों का वितरण किया जाता है। इस अधिनियम द्वारा देश के लगभग दो तिहाई लोगों को सब्सिडी के द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में पात्र व्यक्तियों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध करवाये जाते है जिसमें चावल, गेहूँ व दाल शामिल है। यह अधिनियम खाद्य सुरक्षा के प्रति कल्याण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण और एक आदर्श बदलाव को दर्शाता है। यह सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा रहा है। यह अधिनियम केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी को परिभाषित करता है। केन्द्र खाद्यान्न आवंटन, डिपों तक खाद्यान्न परिवहन सुनिश्चित करता है, वही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रभावी कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार है जिसमें पात्र परिवारों की पहचान करना, राशनकार्ड जारी करना, परिवारों को खाद्यान्न वितरण एवं प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना शामिल है। प्रस्तुत समीक्षा पत्र का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के विभिन्न पहलू यथा परिचय, महत्वपूर्ण धाराएँ, समावेशन एवं निष्कासन की सूची साथ ही विभिन्न सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू को प्रस्तुत करना हैं।

संकेताक्षर—*राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पौषणिक सहायता*

प्रस्तावना

एक स्वस्थ एवं क्रियाशील जीवन जीने के लिये आवश्यक भोजन, भौतिक और आर्थिक रूप से समस्त जनसंख्या के लिये सुनिश्चित करना खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत सम्मिलित है। भोजन में पोषक तत्त्व हो ताकि लोग क्रियाशील एवं स्वस्थ जीवन जी सके। खाद्य सुरक्षा एक मौलिक मानव अधिकार है। हालांकि भारतीय संविधान में भोजन के अधिकार के बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के मौलिक अधिकार को शामिल करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग द्वारा व्याख्या की गई जिसमें भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं का अधिकार शामिल हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में यह निर्देशित किया गया है कि राज्य जनता के पोषण के उचित स्तर को बनाये रखने की दिशा में कार्य करेगा। विश्व स्तर पर खाद्य सुरक्षा की अवधारणा यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोग प्रत्येक समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिये शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच रखते हो, जो उनकी खाद्य वरीयताओं और आधार सम्बन्धित जरूरतों को एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिये पूरा करता हो।

खाद्यान्न की उत्पादकता करने पर अनाज की उपलब्धता तो बढ़ती है परन्तु यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को

भोजन उपलब्ध होगा, जब तक कि उसके पास खाद्यान्न हासिल करने का साधन यथा रोजगार या सामाजिक सुरक्षा या सरकारी योजना का संरक्षण ना हो। अतः खाद्यान्न की देश में उपलब्धता के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति की उस तक पहुंच को सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके लिये सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ती दरों पर लोगों को उपलब्ध करवाती है। प्रत्येक व्यक्ति तक खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए) को लाया गया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

भारत में नागरिकों को खाद्यान्न की उपलब्धता की गारण्टी देने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को लोकसभा में 26 अगस्त, 2013 को पारित किया गया जबकि राज्यसभा में 2 सितम्बर, 2013 को मंजूरी मिली। 10 सितम्बर, 2013 को गजट अधिसूचना जारी की गई। 02 अक्टूबर, 2013 को खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना।

"जनसाधारण को गरिमामय जीवन निर्वाह करने के लिये सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी खाद्य की सुलभता को सुनिश्चित करके मानव जीवन चक्र के मार्ग में खाद्य और पोषण सम्बन्धी सुरक्षा और उसके सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपलब्ध करने के लिये अधिनियम।"

विशेषताएँ

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अन्तर्गत कवरेज और हकदारी—टीपीडीएस के अन्तर्गत 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की एक समान हकदारी के साथ 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को कवर किया जायेगा तथापि चूंकि अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) में निर्धनतम परिवार शामिल होते है और ये परिवार वर्तमान में 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह के लिये हकदार है। अतः मौजूदा अन्त्योदय अन्न योजना परिवारों की 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की हकदारी सुनिश्चित रखी जायेगी।

पारदर्शिता और जवाबदेही—पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित रिकार्डो को सार्वजनिक करने, सामाजिक लेखा परीक्षा करने और सतर्कता समितियों का गठन करने का प्रावधान किया गया हैं।

राज्यवार कवरेज—ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के अखिल भारतीय कवरेज के अनुरूप राज्यवार कवरेज का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जायेगा। योजना आयोग ने वर्ष 2011-12 के लिये एनएसएस पारिवारीक उपभोग सर्वेक्षण आँकड़ों का प्रयोग करके राज्य-वार कवरेज का निर्धारण किया है और राज्य-वार इनक्लूजन अनुपात भी उपलब्ध कराया है।

परिवारों की पहचान—टीपीडीएस के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य के लिये निर्धारित कवरेज के दायरे में पात्र परिवारों की पहचान सम्बन्धी कार्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाना हैं।

महिलाओं और बच्चों को पौषणिक सहायता—गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ तथा 6 माह से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) और मध्यान्ह भोजन (एमडीएम) स्कीमों के अन्तर्गत निर्धारित पौषणिक मानदण्डों के अनुसार भोजन के हकदार होंगे। 6 वर्ष की आयु तक कुपोषित बच्चों के लिये उच्च स्तर के पोषण सम्बन्धी मानदण्ड निर्धारत किये गये है।

यदि अधिनियम के तहत किसी राज्य का आवंटन उसके वर्तमान आवंटन से कम है तो इसके पिछले 3 वर्ष के औसत उठाव के स्तर पर संरक्षित रखा जायेगा जिसके मूल्य का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जायेगा। पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत उठाव को संरक्षित करने के लिये अतिरिक्त आवंटन हेतु एपीएल परिवारों के लिये मौजूदा मूल्यों अर्थात गेहूँ के लिये 6.10 रुपये प्रति किलोग्राम एवं चावल के लिये 8.30 रुपये प्रति किलोग्राम को निर्गम मूल्य के रूप में निर्धारित किया गया है।

मातृत्व लाभ—गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार होगी जो 6000 रुपये से कम नहीं होगा।

टीपीडीएस के अर्न्तगत राजसहायता प्राप्त मूल्य और उसमें संशोधन—इस अधिनियम के लागू होने की तारीख के 3 वर्ष की अवधि के लिये टीपीडीएस के अन्तर्गत खाद्यान्न अर्थात गेहूँ,

ISSN 2348-3857

चावल और मोटा अनाज क्रमशः 3/2/1 रुपये प्रति किलोग्राम से राज सहायता प्राप्त मूल्य पर उपलब्ध कराया जायेगा। तदुपरान्त इन मूल्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ उचित रूप से जोड़ा जायेगा।

महिला सशक्तिकरण—राशनकार्ड जारी करने के प्रयोजनार्थ परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को परिवार की मुखिया माना जायेगा।

खाद्यान्नों की राज्यों के भीतर ढुलाई तथा हैडलिंग सम्बन्धी लागत और उचित दर दुकान डीलरों का मार्जिन—केन्द्रीय सरकार राज्यों के भीतर खाद्यान्नों की ढुलाई, हैण्डलिंग और उचित दर दुकान के मालिकों के मार्जिन पर किये गये खर्चे को पूरा करने के लिये इस प्रयोजनार्थ बनाये जाने वाले मानदण्डों के अनुसार राज्यों को सहायता उपलब्ध करायेगी।

शिकायत निवारण तंत्र—जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र। राज्यों को मौजूदा तंत्र का उपयोग करने अथवा अपना अलग तंत्र गठित करने की छूट होगी।

खाद्य सुरक्षा भत्ता—हकदारी के खाद्यान्न अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में हकदार लाभार्थियों के लिये खाद्य सुरक्षा भत्ते का प्रावधान।

समावेशन व निष्कासन की पात्रताएँ

संख्या एफ.13(10)खावि/खाद्यान्न/2013—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु पात्र व्यक्तियों की पहचान के लिये राज्य सरकार द्वारा समावेशन (पात्र) निष्कासन (पात्र नहीं) हेतु मानदण्ड निर्धारित करती है—

तालिका 1 : समावेशन सूची

क्र. सं.	समावेशन (Inclusion) प्राथमिकता श्रेणी (शहरी क्षेत्र)	समावेशन (Inclusion) प्राथमिकता श्रेणी (ग्रामीण क्षेत्र)
1.	अन्त्योदय परिवार	अन्त्योदय परिवार
2.	बीपीएल परिवार	बीपीएल परिवार
3.	स्टेट बीपीएल परिवार	स्टेट बीपीएल परिवार
4.	अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी	अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
5.	ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल है उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा— a. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना b. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना c. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना d. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना e. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना f. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना g. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास योजना h. सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार i. कानूनी रूप से निमुक्त बंधुआ मजदूर परिवार	ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल है उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा— k. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना l. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना m.मुख्यमंत्री एकल नारी योजना n. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना o. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना p. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना q. महानरेगा में 2009-10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार। r. मुख्यमंत्री निराश्रित पुर्नावास योजना s. सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार

क्र. सं.	समावेशन (Inclusion) प्राथमिकता श्रेणी (शहरी क्षेत्र)	समावेशन (Inclusion) प्राथमिकता श्रेणी (ग्रामीण क्षेत्र)
	j. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशनकार्ड तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्ते पात्र नहीं की शर्तों में नहीं आता हो	t. कानूनी रूप से निमुक्त बंधुआ मजदूर परिवार u. भूमिहीन कृषक v. सीमान्त कृषक w. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशनकार्ड तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्ते पात्र नहीं की शर्तों में नहीं आता हो
6	मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष	
7	समस्त सरकारी, हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूल के हॉस्टल)	समस्त सरकारी, हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूल के हॉस्टल)
8	एकल महिलाएँ	एकल महिलाएँ
9	श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक	श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
10	पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम	पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
11	कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार	
12	कचरा बीनने वाले परिवार	कचरा बीनने वाले परिवार
13	शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएँ	
14	गैर सरकारी सफाई कर्मी	
15	स्ट्रीट वेन्डर	
16	उत्तराखण्ड त्रासदी परिवार	उत्तराखण्ड त्रासदी परिवार
17	साईकिल रिक्शा चालक	साईकिल रिक्शा चालक
18	पोर्टर (कुली)	पोर्टर (कुली)
19	कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति	कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
20	घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वन गडरिया, गाडिया लुहार, भेड चालक	घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वन गडरिया, गाडिया लुहार, भेड चालक
21	वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी	वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी
22		लघु कृषक
23	आस्था कार्डधारी	आस्था कार्डधारी
24	अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा संशोधित अधिनियम 2015 के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्ति	अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा संशोधित अधिनियम 2015 के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्ति

क्र. सं.	समावेशन (Inclusion) प्राथमिकता श्रेणी (शहरी क्षेत्र)	समावेशन (Inclusion) प्राथमिकता श्रेणी (ग्रामीण क्षेत्र)
25	एड्स (उपार्जित प्रतिरक्षा अभावजनित संलक्षण रोग) से ग्रसित व्यक्ति व उसका परिवार	एड्स (उपार्जित प्रतिरक्षा अभावजनित संलक्षण रोग) से ग्रहित व्यक्ति व उसका परिवार
26	सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति व उसका परिवार	सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति व उसका परिवार
27	बहु विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति (21 श्रेणियां)	बहु विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति (21 श्रेणियां)
28	पालनहार योजना अन्तर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार	पालनहार योजना अन्तर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार
29	डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 के अन्तर्गत पीड़ित महिलाएँ	डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 के अन्तर्गत पीड़ित महिलाएँ
30	निसंतान वृद्ध दम्पति	निसंतान वृद्ध दम्पति
31	वृद्ध दम्पति जिनके केवल दिव्यांग संतान है	वृद्ध दम्पति जिनके केवल दिव्यांग संतान है
32	ट्रांसजेन्डर	ट्रांसजेन्डर

तालिका 2 : निष्कासन सूची

क्र. सं.	शहरी क्षेत्र निष्कासन श्रेणी (पात्र नहीं)	ग्रामीण क्षेत्र निष्कासन श्रेणी (पात्र नहीं)
1.	ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो	ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो
2.	ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्यसरकारी/ अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/ अधिकारी हो अथवा 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो	ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/ अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/ अधिकारी हो अथवा 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो
3.	ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)	ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रैक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)
4.	नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यावसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती छोड़कर)	ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।
5.	नगरपालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यावसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोड़कर)	ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक हो
6.	एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक आय सीमा वाले परिवार	ऐसा परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक सवर्ग के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मान हो।
7.	ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।	

कोरोना काल में स्थिति

सरकार द्वारा कोरोना काल में प्रत्येक व्यक्ति की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दो योजनाओं की स्वीकृति दी गई—

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना—इसके अन्तर्गत प्रत्येक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभार्थी को 5 रुपये प्रति व्यक्ति अतिरिक्त गेहूँ का लाभ निःशुल्क दिया गया जिसके फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति 10 किलोग्राम गेहूँ प्रति माह प्राप्त हो रहे है (5 किलोग्राम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत + 5 किलोग्राम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत)

वन नेशन वन राशनकार्ड—इस योजना के तहत देश का कोई भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभार्थी किसी भी राज्य की उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त कर सकता है। इस योजना का मुख्य लाभ मजदूर/श्रमिक वर्ग के व्यक्तियों को लाभ हो रहा है जिन्होने कोरोना काल में एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन किया।

चुनौतियाँ एवं समाधान

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार—खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून 2013 का क्रियान्वयन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तंत्र के माध्यम से हो रहा है। सरकार जो अनाज गरीबों के लिये सस्ती दर पर उपलब्ध कराती है, उसका बडा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ सकता हैं ऐसे में इस कानून के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और निगरानी ठोस प्रबन्ध करने की जरूरत है। हालांकि अब राज्यों के द्वारा अब कम्प्यूटर मशीनों (पाईन्ट ऑफ सेल) से खाद्यान्न का वितरण बायोमैट्रिक तरीके से करवाया जा रहा है। पोस से खाद्यान्न का वितरण हितधारियों तक सीधे ही लाभ पहुंचाने के लिये राजस्थान सरकार द्वारा जुलाई 2017 में "मेरा राशन मेरा अधिकार" स्कीम लागू की गई, परन्तु राशन विक्रेताओं द्वारा फिर भी कम जानकार लोगों को मूर्ख बना कर लाभार्थियों को वंचित रखा जा सकता है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में जिला स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी (डीजीआरओ) और राज्य स्तर पर राज्य खाद्य आयोग (एसएफसी) से युक्त दो स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का भी प्रावधान है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने तथा शिकायत निवारण के लिये प्रत्येक जिले में एक तंत्र स्थापित होगा। इसमें एक कॉल सेन्टर तथा हेल्पलाईन होगी। साथ ही सोशल ऑडिट तथा सतर्कता समितियां बनाने का प्रावधान भी इसमें है।

राजस्थान सरकार ने एनएफएसए 2013 के प्रावधानों की पालना में राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय एवं उचित मूल्य दुकान स्तरीय 4 स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया गया है। यदि कोई अधिकारी कानून के प्रावधानों की पालना नहीं करता है तो उसे कड़ी सजा मिले तथा राशन विक्रेताओं के विरूद्ध भी आवश्यक वस्तु अधिनियम (ई.सी. एक्ट) के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही हो।

खाद्यान्न के भण्डारण और अनावश्यक रूप से स्थानान्तरण पर व्यय होना—भण्डारण की समस्या होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन पर अनावश्यक व्यय होता है। खाद्यान्न के भण्डारण की सुविधा को बेहतर बनाने के लिये केन्द्र तथा राज्य सरकारें वैज्ञानिक ढंग से भण्डारण की सुवधिओं के निर्माण कर एवं वर्तमान प्रबन्धन पद्धति का उपयोग करके अनाज के अनावश्यक रूप से स्थानान्तरण पर व्यय को बचाया जा सकता है।

पात्र परिवारों का हिताधिकारियों की सूची में चयन से वंचित रहना—जो भुखमरी या कुपोषण से ग्रस्त है उनमें 50 प्रतिशत छोटे कृषक, 20 प्रतिशत भूमिहीन, 10 प्रतिशत घुमन्तू लोग तथा 10 प्रतिशत छोटे-छोटे मत्स्य जीवी है। ये लोग कानून के जानकार नहीं होने से चयनित होने वे वंचित रहे हो सकते है। अतः भारत में छोटे सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन की समस्या पर नये सिरे से दृष्टिपात करना आवश्यक है।

जलवायु परिवर्तन—उच्च तापमान पर और अविश्वसनीय वर्षा खेती को कठिन बनाती है। जलवायु परिवर्तन न केवल फसल बल्कि पशुधन, वानिकी, मत्स्य पालन और जलीय कृषि को प्रभावित करता है और कम आय के रूप में गम्भीर सामाजिक और आर्थिक परिणाम पैदा कर सकता है जैसे—आजीविका का क्षय, व्यापार विघटन और प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव। हमें पारिस्थितिकी से कम से कम छेड़छाड़ करनी चाहिए जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कम हो।

सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच का अभाव—आदिवासी समुदायों के लिये दूर दराज के कठिन इलाकों में रहने और जीवन निर्वाह खेती के अभ्यास ने महत्वपूर्ण आर्थिक पिछड़ेपन को जन्म दिया है। सुदूर क्षेत्रों तक राज्य को कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए।

ISSN 2348-3857

ग्रामीण से शहरी प्रवास में वृद्धि—अनौपचारिक कार्यबल का बड़ा हिस्सा जिसके परिणामस्वरूप मलिन बस्तियों का अनियोजित विकास हुआ जो बुनियादी स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाओं की कमी, अपर्याप्त आवास और बढ़ती खाद्य असुरक्षा का कारण है। भारत में कही भी प्रवास के कारण हितधारियों को पीडीएस का लाभ मिल सके इसलिए हाल ही केन्द्र सरकार द्वारा राशनकार्ड की पोर्टेबिलिटी की सुविधा 8 अगस्त से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर "वन नेशन वन राशनकार्ड" स्कीम शुरू की गई है।

अधिक जनसंख्या गरीब शिक्षा की कमी और लैंगिक असमानता—जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाना चाहिए, शिक्षा एवं लैंगिक समानता का बढ़ावा देना चाहिए।

जैव ईंधन—जैव ईंधन बाजार की वृद्धि ने खाद्य फसलों को उगाने के लिये उपयोग की जाने वाली भूमि को कम कर दिया है। जैव ईंधन की खेती खाद्य सुरक्षा को नजरअंदाज करके नहीं हो, राज्यों को इस बारे में प्रभावी निगरानी रखनी चाहिए।

संघर्ष—जमीन को हासिल करने के लिये दुश्मनों को खाद्य आपूर्ति की कटौती के साथ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। संघर्ष के दौरान फसलें नष्ट भी हो सकती है। संघर्ष के युद्धोन्माद से बचने के प्रयास अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत रूप से किये जाने चाहिए।

पोषण कार्यक्रमों की निगरानी का अभाव—हालांकि देश में उनके मुख्य घटक के रूप में पोषण में सुधार के साथ कई कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है लेकिन निगरानी के अभाव में ये ठीक से लागू नहीं होते है। सरकारी कार्यक्रमों की सतत निगरानी की व्यवस्था का प्रभावी रूप से निगरानी किया जाना सुनिश्चित होना चाहिए।

निष्कर्ष

"कोई भूखा ना सोये" की तर्ज पर साथ ही प्रत्येक व्यक्ति तक खाद्यान्न की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लाया गया। भण्डार गृहों की स्थिति में सुधार, पोस मशीन द्वारा वितरण, सतर्कता समितियां, सामाजिक अंकेक्षण द्वारा क्रमिक व नियमित रूप से उपभोक्ताओं को योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। यदि सरकारें अनुत्पादक खर्चे में कटौती करे तथा धनराशि की व्यवस्था कर सके तो 67 प्रतिशत जनसंख्या को सस्ते में खाद्यान्न उपलब्ध कराना स्वागत योग्य है। साथ ही अधिनियम की क्रियान्वयन, कार्यवाही, समीक्षा, समय के साथ संशोधित करना अपेक्षित है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. देव, एस. महेन्द्र एवं शर्मा, अलख एन., फूड सिक्योरिटी इन इंडिया : परफोर्मेन्स, चैलेंजेज एंड पॉलिसीज, ऑक्सफेम इंडिया, 2010
2. शर्मा, सचिन कुमार, दि डब्ल्यूटीओ एंड फूड सिक्योरिटी : इम्पलीकेशन्स फॉर डेवलेपिंग कंट्रीज़, स्प्रिंगर सिंगापुर, 2016
3. कृष्णाजी, एन. एवं कृष्णन, टी.एन., पब्लिक सपोर्ट फॉर फूड सिक्योरिटी : दि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, सेज पब्लिकेशन्स, 2000
4. बिलाला, कुशाल, आवश्यक वस्तु अधिनियम (लॉ कम्पेडियम), यूनिक ट्रेडर्स, जयपुर, 2016
5. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट दृष्टि आईएएस डॉट कॉम
6. फूड डॉट राज डॉट निक डॉट इन
7. ईएन डॉट एम विकिपिडीया डॉट ओआरजी
8. एचटीटीपीएसः//डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू ग्लोबल हंगर इडेक्स डॉट ओआरजी
9. एचटीटीपीएसः//डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एनएफएसए डॉट जीओवी इन
10. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट नीति डॉट जीओवी इन
11. आईएमपीडीएस डॉट निक डॉट इन
12. डीएफपीडी डॉट जीओवी इन